

प्रश्न

उत्तर भेजने का अंतिम दिनांक 30/03/2011

वर्ग 1 बैठक का दिनांक 08/04/2011 विभाग का नाम पंचायत और ग्रामीण विकास

विषय:- पंचायत कर्मियों की नियुक्ति बाधत।

(संबंधित प्रश्न क्रमांक 4764) श्री अभय कुमार मिश्रा

क्या सामाजिक न्याय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या ग्राम पंचायतों में पंचायत कर्मों के नियुक्ति हेतु धारा 86(2) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा नियुक्त पंचायत कर्मों की सचिवीय घोषणा के लिये शासन द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ?

(ख) क्या पंचायत इंस्पेक्टर सी.ई.ओ., एस.डी.एम.आदि की अनुशंसा/प्रतिवेदन लिया जाता है अथवा नहीं यदि हां तो ग्राम पंचायत महरी, जनपद पंचायत सिरमौर के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा सचिवीय घोषणा हेतु प्राप्त प्रतिवेदन में उक्त अधिकारियों द्वारा क्या अनुशंसा की गई है ? यदि अनुशंसित नहीं किया गया तो सचिवीय घोषणा का आधार क्या था ? इस हेतु दोषी अधिकारी कौन हैं, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी ?

(ग) जनपद सिरमौर जिला रीवा में किन-किन पंचायतों में ग्राम पंचायतों द्वारा पंचायत कर्मों को नियुक्ति की फाइल अग्रिम कार्यवाही हेतु जनपद एवं जिला पंचायत में लंबित है, एवं इन्हें किस दिनांक तक अग्रिम निराकरण किया जादेगा, तथा विलंब हेतु दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी ?

स्वीकृत

म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद,

(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत रुस्थां
59 की-बिंग नर्मदा भवन द्वितीय तल अन्ना हिल्टन, भोपाल)

ST-06/P-17

क्रमांक 2998 / वि.स. / एनआर-11 / 2011, भोपाल दिनांक : 19 / 03 / 2011

- प्रतिष्ठिति - कायुक्त, 5090 पंचायत राज संचालक एवं कायुक्त
- 1 कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जि.प. रीवा..... म.प्र. की ओर लिखनसभा प्रश्न की प्रति सलग्न कर लेख है कि उक्त प्रश्न का उत्तर दिनांक 24/03/2011 तक निश्चित रूप में इस कार्यालय को 10 प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
 - 2 आयुक्त, रीवा..... संभाग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
 - 3 मुख्य अभियंता, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।

(प्रद्युम्न शर्मा)

संचालक

जन.शि.एवंगुण.नि.प्रको.

म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल

कार्य. फोन नं 0755-2551489 फैक्स 2550094

ई-मेल : mprgs_vs@yahoo.co.in, roompr@yahoo.com